

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.17(01)नविवि/नियम/2020

जयपुर, दिनांक : यथा हस्ताक्षरित

आदेश

इस विभाग द्वारा जारी किये गये समसंख्यक आदेश दिनांक 07.01.2020 द्वारा “न्यूनतम बोली से अधिक बोली आने पर भूखण्ड की नीलामी को अस्वीकार नहीं किया जावे” बाबत निर्देश दिए गए थे।

उक्त आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित (Withdraw) किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. शासन उप सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त राजस्थान।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
10. सहायक निदेशक/प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव—प्रथम